Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- **बाड़मेर में आरोपी दिनेश कुमार पटवारी, पटवार मण्डल नवातला जेतमाल, तहसील चौहटन को रिश्वत राशि 2,000/– रूपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया**

जयपुर, दिनांक 17 सितम्बर, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बाड़मेर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी दिनेश कुमार पटवारी, पटवार मण्डल नवातला जेतमाल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर को परिवादी के पिता के नाम राजस्व ग्राम सरहद भीलों का तला, पटवार हल्का नवातला जेतमाल में स्थित शामलाती खेत में खातेदार (परिवादी के पिता) का नाम अलग दर्ज हैं, जबकि आधार कार्ड एंव अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम सही दर्ज हैं। नाम में उक्त असमानता की वजह से पी.एम. किसान सम्मान निधि की किश्तें वर्ष 2022 से बन्द हैं। जिसको राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर पी.एम. सम्मान निधि प्रारंभ कराने की ऐवज में आरोपित पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 31.08.2025 को 4,000/– रूपये रिश्वती राशि की मांग कर उसी समय वक्त सत्यापन 2,000/– रूपये प्राप्त किये एंव शेष राशि 2,000/– रूपये बाद में लिया जाना तय किया गया, जिसके क्रम में आरोपित पटवारी द्वारा आज के रोज परिवादी से पूर्व में तय शुदा उक्त रिश्वती राशि 2000 रू. की मांग कर प्राप्त करते हुए को कस्बा चौहटन में स्थित स्वयं के किराये के आवासीय मकान से रंगे हाथों गिरफ्तार किया हैं। रिश्वती राशि 2,000/– **रूपये** आरोपित पटवारी से बरामद की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बाड़मेर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के पिता का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त कर रूकी हुई पी.एम. सम्मान निधि प्रारंभ कराने की ऐवज में परिवादी से 4,000/– रूपये रिश्वती राशि की मांग कर इसमें से वक्त सत्यापन 2,000/– रूपये प्राप्त किये एंव शेष रिश्वती राशि 2,000/– रूपये आज वक्त लेन–देन प्राप्त किये गये।

जिस पर एसीबी रेन्ज जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री भुवन भूषण यादव** के सुपरवीजन में आज ए.सी.बी इकाई बाड़मेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार** द्वारा एसीबी इकाई बाड़मेर के स्टाफ के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी दिनेश कुमार मीना पटवारी, पटवार हल्का नवातला जेतमाल को परिवादी से 2,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी हैं। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।